राजस्व वाद सख्या –23/2014

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट फिड़ौद
न्याय आपके द्वार शिविर फिड़ौद दिनाक 25.5.2017

राजस्व वाद सख्या –23/2014

वादी

रामनिवास पुत्र नवलाराम उर्फ नोलाराम जाति जाट निवासी फिड़ौद तहसील मूण्डवा जिला नागौर

वनाम

प्रतिवादीगण

1. बदलदेवराम पुत्र नवलाराम उर्फ नोलाराम जाति जाट निवासी फिड़ौद तहसील मूण्डवा जिला नागौर
2. गणपतराम पुत्र नवलाराम उर्फ नोलाराम जाति जाट निवासी फिड़ौद तहसील मूण्डवा जिला नागौर
3. श्रीमती राधा पत्नी बदलदेवराम जाति जाट निवासी फिड़ौद तहसील मूण्डवा जिला नागौर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा
5. उप पंजीयक मूण्डवा

निर्णय

दिनांक 25.5.2017

वाद वास्ते खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा खेताय, रेकर्ड दुरूस्ती

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद वास्ते बंटवाडा, घौषणा खातेदारी एंव रेकर्ड दुरूस्ती वाद पत्र अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सगे भाई व स्वर्गीय नवलाराम उर्फ नोलाराम के पुत्रगण है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादी की सगी भोजाई है व प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पुश्तैनी सहकब्जे काश्त सहखातेदारी हक अधिकार के खेताय खसरा नम्बर 666 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 678 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 711 रकबा 23 बीघा, खसरा नम्बर 841 रकबा 26 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 925 रकबा 31बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 983 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 670 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 988 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा मौजा फिड़ौद तहसील मूण्डवा में स्थित है तथा खेत खसरा नम्बर 1 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा मौजा खारड़ा तहसील मूण्डवा में स्थित हैं । जो खेताय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पुश्तैनी सह कब्जे काश्त व सहखातेदारी अधिकार के खेताय है। खसरा नम्बर 670 व 988 मौजा फिड़ौद भी सह खातेदारी हक अधिकार के पुश्तैनी खेताय है जो पूर्व में वादी के पिता नवलाराम उर्फ नोलाराम की खातेदारी के खेताय थे तथा भूमि अधिक होने के कारण सीलिंग में जाने के अंदेशे के कारण वादी के पिता ने उक्त दोनों खेताय अपने बड़े पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम बिना प्रतिफल के विक्रय पत्र के जरिये नाम करवाये जिसकी वर्तमान खातेदारी प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

Scanned by CamScanner

संख्या 3 के नाम दर्ज है परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 का किसी प्रकार का हक अधिकार उक्त खेताय में नहीं है तथा खातेदारी में नाम नुमाइशी तौर पर दर्ज हैं उक्त खेताय भी पुश्तैनी तहखातेदारी हक अधिकार व संयुक्त कब्जे काश्त के खेताय है। विवादग्रस्त सम्पूर्ण खेताय में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का बराबर बराबर 1/3–1/3 हक हिस्सा निहित करता है। इससे अधिक हिस्सा किसी भी पक्षकार का न तो बनता है व न ही प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त सम्पूर्ण खेताय संयुक्त हक अधिकार व सह कब्जे काश्त व सह खातेदारी हक अधिकार के खेताय है। जिनका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा खेताय संयुक्त हक अधिकार के खेताय है। पक्षकारान सुविधानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विवादग्रस्त खेताय संयुक्त हक अधिकार की अविभक्त खेताय है जिनमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बराबर 1/3–1/3 हक हिस्सा निहित करता है तथा अविभक्त खेताय है संयुक्त खातेदारी के है। इसलिये उक्त खेताय का माफिक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से अलग अलग खातेदारी की घोषणा करवायी जानी व माफिक हिस्सा व घोषणा प्रत्येक खेत में हिस्सा अनुसार अलग अलग बाई मिटस एण्ड वाउण्डस विभाजन करवाया जाकर अलग अलग कब्जा करवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये घौषणा खातेदारी व बंटवाड़ा का वाद पेश किया जाना आवश्यक होने से यह वाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 3 का नाम खसरा नम्बर 670 व 988 में केवल नुमाईशी तौर पर विना प्रतिफल लिये विक्रय पत्र करवा कर दर्ज करवाया गया है। जिससे उक्त खेताय के संबंध में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। बिनाय वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण विवादग्रस्त खेताय संयुक्त खातेदारी हक अधिकार के खेताय है व वादी का उक्त खेताय में 1/3 हक हिस्सा होने व संयुक्त कब्जा होने व खेताय अविभक्त होने से अलग विभाजन करवा कर खातेदारी दर्ज करवाना आवश्यक होने व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 गलत इन्द्राजी के आधार पर खेताय का विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा होने पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से दिनांक 30.5.14 को खेताय का विभाजन करने व अलग खातेदारी दर्ज करवाने एवं विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण के नहीं मानने पर विवाद उत्पन्न हुआ। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमावे। खेताय खसरा नम्बर 666 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 678 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 711 रकबा 23 बीघा, खसरा नम्बर 841 रकबा 26 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 925 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 983 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 670 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 988 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा मौजा फिड़ौद व खेत खसरा नम्बर 1 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा मौजा खारड़ा में वादी का 1/3 हक हिस्सा होने व खातेदारी हक अधिकार होने की घोषणा की जावे व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा होने की घोषणा की जावे। माफिक घोषणा व हिस्सा प्रत्यके खेत का

सहायक कलक्टर (ट्रेनी)
नागौर

Scanned by CamScanner

मौके पर हिस्सा अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भौतिक विभाजन करवाया जाकर प्रत्येक खेत में अलग अलग कब्जा करवाया जावे।

वाद के ताईद में जमाबंदी मौजा फिड़ौद सम्वत 2065 से 68 तक प्रदर्शक 1 व प्रदर्शक 2 तथा प्रदर्शक 3 तथा जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 प्रदर्शक 4, जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 प्रदर्शक 5 पेश की है तथा प्रतिवादीगण की ओर से नकल बेचाननामा प्रदर्शक ए–1, प्रदर्शक ए–2, प्रदर्शक ए–3 नामान्तरकरण संख्या 239 प्रदर्शक ए–4 एवं जमाबंदी प्रदर्शक ए–5 से प्रदर्शक ए–8 की नकले पेश की है साथ ही वादी रामनिवास के बयान, प्रतिवादी गणपतराम के बयान, प्रतिवादी राधादेवी के बयान कलमबद्ध करवाये।

वकुलाय वहस सुनी गयी । वहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन करने पर पाया गया कि मौजा मौजा फिड़ौद के खसरा नम्बर 670 रकबा 16.09 बीघा, एवं खसरा नम्बर 988 रकवा 6.05 बीघा, कुल 22.14 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती राधा देवी पत्नी बलदेवराम कौम जाट के नाम खातेदारी है जो उसे जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज प्राप्त हुई है तथा मौजा मौजा फिड़ौद खेत खसरा नम्बर 666 रकवा 8.03 बीघा, खसरा नम्बर 678 रकबा 12.07 बीघा, खसरा नम्बर 711 रकवा 23.00 बीघा, खसरा नम्बर 841 रकबा 26.06 बीघा, खसरा नम्बर 925 रकबा 31.15 बीघा, खसरा नम्बर 983 रकवा 9.05 बीघा, वादी रामनिवास एवं प्रतिवादी बलदेवराम, नवलाराम पिसरान नवलाराम जाट के नाम खातेदारी दर्ज है एवं मौजा खारड़ा के खसरा नम्बर 1 रकवा 10.16 बीघा, खसरा नम्बर 6 रकवा 5.14 बीघा, में नोला पुत्र गिरवादी जाति जाट साकिन फिड़ौद खातेदार दर्ज है यानि वादी रामनिवास प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः बलदेवराम, गणपतराम के पिता के नाम दर्ज है इस प्रकार उक्त खेताय में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बहिस्सा बराबर यानी 1/3 हिस्सा बनता है तथा वकील वादी महेन्द्र कुमार शर्मा एवं प्रतिवादी वकील श्री मेघराज सोनी ने भी उपरोक्तानुसार डिक्री जारी की जाने पर सहमति व्यक्त की तथा आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये ।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है वादी के वाद में निम्न प्रकार से डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

1. मौजा फिड़ौद खेत खसरा नम्बर 666 रकबा 8.03 बीघा, खसरा नम्बर 678 रकबा 12.07 बीघा, खसरा नम्बर 711 रकबा 23.00 बीघा, खसरा नम्बर 841 रकबा 26.06 बीघा, खसरा नम्बर 925 रकबा 31.15 बीघा, खसरा नम्बर 983 रकबा 9.05 बीघा, एवं मौजा खारड़ा के खसरा नम्बर 1 रकबा 10.16 बीघा, खसरा नम्बर 6 रकबा 5.14 बीघा, में वादी रामनिवास एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः बलदेवराम, गणपतराम के बंट कब्जा काश्त में बहिस्सा बराबर यानी 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

2. मौजा फिड़ौद के खसरा नम्बर 670 रकबा 16.09 बीघा, एवं खसरा नम्बर 988 रकबा 6.05 बीघा, कुल 22.14 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती राधा देवी पत्नी बलदेवराम कौम जाट के नाम यथावत रखी जाती है।
3. हिस्सानुसार व घोषणा अनुसार विभाजन करने हेतु तहसीलदार मूण्डवा को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मौजा फिड़ौद के खसरा नम्बर 666, 678, 711, 841, 925, 983 व मौजा खारडा के खसरा नम्बर 1 व 6 का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें । कमिश्नर की फीस 1000/– तय की जाती है जो मौके पर देय हो।

इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो व तहसीलदार मूण्डवा को विभाजन प्रस्ताव हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.5.17 न्याय आपके द्वार शिविर फिड़ौद में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

Scanned by CamScanner